



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-08072026-274274  
CG-RJ-E-08072026-274274

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3529]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2026/आषाढ 17, 1948

No. 3529]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2026/ASHADHA 17, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 7 जुलाई, 2026

का.आ. 3691(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11), की धारा 2 के खंड (7क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित उप खंड, स्तम्भ (4) में उल्लिखित जिले के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य में "उत्तर पश्चिम रेलवे के "एन डब्ल्यू आर के रेवाड़ी – अलवर – बांदीकुई – जयपुर – अजमेर – फालना – पालनपुर, अजमेर – चित्तौड़गढ़ – उदयपुर और रेवाड़ी – रींगस – फुलेरा खंडो के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को 1x25 केवी से 2x25 केवी ट्रैक्शन सिस्टम का उन्नयन कार्य" के सन्दर्भ में ऐसी विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए 'सक्षम प्राधिकारी' के रूप में प्राधिकृत करती है।

## सारणी

क्र. सं.	सक्षम प्राधिकारी	उप खण्ड	जिला
1	2	3	4
1.	उप खण्ड अधिकारी, कपासन	कपासन	चित्तौड़गढ़

[फा. सं. उपरे /मुख्यालय /एस एण्ड सी /443599200 भाग-25]

विवेक सक्सेना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

## MINISTRY OF RAILWAYS

[North Western Railway (Construction Organization)]

## NOTIFICATION

Jaipur, the 7th July, 2026

**S.O. 3691(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008,(11<sup>th</sup> of 2008), the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the table below as ‘Competent Authority’ to perform the function as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the Special Railway project of **“Upgradation work of Electric Traction System from 1x25 KV to 2x25 KV traction system for Rewari – Alwar –Bandikui – Jaipur – Ajmer – Falna – Palanpur, Ajmer – Chittorgarh – Udaipur & Rewari – Ringas – Phulera section of NWR”**, in the state of Rajasthan relating to sub division mentioned in column (3), district mentioned in column (4) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

## TABLE

S. N.	Competent Authority	Sub-Division	District
1	2	3	4
1	Sub Divisional Officer, Kapasan	Kapasana	Chittorgarh

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol. XXV]

VIVEK SAXENA, Chief Administrative Officer (Const.)